अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–04 / 2021
कमरूल होदा बनाम गिरजा शंकर मुण्डा एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

7/12/2022

कमरूल होदा, पिता–बाबुजी मियां, ग्राम–मगनपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–17 / 2018–19 गिरजा शंकर मुण्डा बनाम कमरूल होदा में दिनांक–01.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।

भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)
1	खाखरा	05	757	0.77 मध्ये 0.20

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–खाखरा के खाता सं0–05, प्लॉट सं0–757, कुल रकवा–77 डी0, मध्ये रकवा–20 डी0 से संबंधित है। विपक्षी खतियानी रैयत शिवलाल सुसरी के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत् भूमि पर दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्नगत् भूमि पूर्व जमींदार द्वारा वर्ष–1947 में निबंधित दस्तावेज सं0–2695, दिनांक–30.06.1947 को शेख हाशिम मियां के नाम से विक्रय किया गया है। शेख हाशिम मियां के वैध उत्तराधिकारी गुलाम अख्तर आलम द्वारा निबंधित डीड के माध्यम से दिनांक–06.09.2014 को कमरूल होदा, पिता–बाबूजी मियां को बिक्री किया गया। तदोपरांत प्रथम पक्ष प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी अंचल कार्यालय गोला में खोलवाते हुए, भूमि के वैध दखलकार हुए। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। फलस्वरूप निम्न न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैध बताते हुए, निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वे न्यायिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्राम सोसोकला थाना गोला जिला रामगढ़ (झारखण्ड) के स्थानीय निवासी है। मौजा खाखरा थाना नं0 69 थाना गोला के खाता नं० 05 प्लॉट नं० 757 कुल रकबा 0.77 ए0 मध्ये रकबा 0.20 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में उनके परदादा शिवलाल सुसारी वगै0 के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की खतियानी भूमि है। जिसका उपायुक्त के आदेश प्राप्त किए बिना भूमि का हस्तांतरण बताया जा रहा है। विपक्षी जाली वो बनावटी दस्तावेज बनाकर उक्त खतियानी भूमि को गत 7–8 वर्षों से हड़प लिया है और उनको बेदखल कर दिया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। जिसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी

अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को वापस किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, गोला ने पत्रांक–319, दिनांक–18.02.2021 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को प्रेषित प्रतिवेदित में जिसमें वर्त्तमान द्वितीय पक्ष अपीलार्थी थे, के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि मौजा–खखरा के खाता सं0–05, कुल प्लॉट–11, कुल रकबा–5.46 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में शिवलाल सुसारी वल्द जंगाली सुसारी बहिस्सा वो खेमलाल सुसारी वल्द लेदा सुसारी एक हिस्सा वो दीपनाथ सुसारी पेशरान मंगला सुसारी बहिस्सा बराबर कौम मुण्डा साकिन देह दर्ज है। चालु पंजी–II के पृ0सं0–12/V पर अंचल अधिकारी, गोला की दाखिल खारिज वाद सं0–282/2014–15 के आदेशानुसार जमाबंदी दर्ज किया गया है। विवादित भूमि गैर आदिवासी रैयत को केवाला सं0–2707, दिनांक–06.07.14 के द्वारा हस्तांतरित हुआ है। विवादित भूमि का वर्त्तमान स्वरूप में द्वितीय पक्ष के द्वारा धान की खेती काटी गई है। आवेदक लगभग 7 वर्ष से बेदखल है। प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से राजस्व पंजी II में जमाबंदी कायम नहीं है। द्वितीय पक्ष का राजस्व पंजी II के पृ0सं0 12/V पर खाता सं0 5 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2015–16 तक निर्गत है। विवादित भूमि सर्वे खतियान रैयत CNT के अन्तर्गत आते हैं। मामला भू–वापसी का बनता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में यह अंकित करते हुए कि मौजा–खखरा के खाता सं0–05, कुल प्लॉट–11, कुल रकबा–5.46 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में शिवलाल सुसारी वल्द जंगाली सुसारी बहिस्सा वो खेमलाल सुसारी वल्द लेदा सुसारी एक हिस्सा वो दीपनाथ सुसारी पेशरान मंगला सुसारी बहिस्सा बराबर कौम मुण्डा साकिन देह दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा केवाला सं0 2707 दिनांक 06.07.14 से खरीदगी हासिल है, के आधार पर दावा करते हैं। अंचल अधिकारी, गोला ने प्रतिवेदित किया है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से राजस्व पंजी II में जमाबंदी कायम नहीं है। द्वितीय पक्ष का राजस्व पंजी II के पृ0सं0 12/V पर खाता सं0 5 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2015–16 तक निर्गत है। लेकिन विवादित भूमि सर्वे खतियान रैयत CNT के अन्तर्गत आते हैं। अर्थात द्वितीय पक्ष गलत तरीके से अदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, गोला/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वे खतियान में मौजा–खाखरा के खाता सं0–05, प्लॉट सं0–757, कुल रकवा–77 डी0, मध्ये रकवा–20 डी0 भूमि शिवलाल सुसारी के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत् भूमि खरीदगी के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर

खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि प्रथम पक्ष के द्वारा निबंधित दस्तावेज संख्या–2707 दिनांक 06.09.2014 के आधार पर वर्ष 1974–75 से 2006–07 तक लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद में बिन्दुवार समीक्षोपरांत व अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देते हुए, आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों का विधिवत् विश्लेषण पश्चात् आदेश पारित किया जाना श्रेयकर प्रतीत होता है।

अतः मूल अभिलेख पुनर्समीक्षा हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

7/12/2022
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

7/12/2022
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2023.03.29 16:06:57 +05:30
Location: 192.168.137.1